कार्यालय क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा।

सूचना।

एतद् द्वारा सभी संबंधितों को सूचित किया जाता है कि सारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार की अगामी बैठक **दिनांक 27.07.2024 (शनिवार)** को **11:00 बजे पूर्वाह्न** से अध्यक्ष–सह–आयुक्त, सारण प्रमंडल, छपरा के कार्यालय कक्ष में आयोजित की जायेगी।

- विहित् प्रपत्र में आवेदक परमिट हेतु आवेदन, विहित शुल्क की पूर्ण राशि के चालान एवं सभी अद्यतन कागजातों के साथ दिनांक **13.07.2024 को 01:00 बजे अपराह्न** तक परिवहन विभाग के VAHAN CITIZEN PORTAL पर Online आवेदन दे सकते हैं, एवं उसकी हार्ड कॉपी कार्यालय के आवेदन–पेटिका में दिनांक **13.07.2024**. के **02:00 बजे अपराह्न** तक जमा करेंगे।
- ***वर्त्तमान प्रावधानों के अनुसार तीन या तीन से अधिक प्राधिकार के अन्तर्गत पड़ने वाले मार्गों पर परमिट की स्वीकृति एवं नवीकरण की कार्रवाई राज्य परिवहन प्राधिकार के स्तर से की जानी है। अतः आवेदित मार्ग तीन या तीन से अधिक प्राधिकार क्षेत्र के लिए अनुमान्य नहीं होगा, अर्थात् इस प्राधिकार क्षेत्र से पटना जाने वाली बसों को हाजीपुर होकर जाने के लिए स्टेज कैरेज परमिट हेतु नये आवेदन एवं नवीकरण आवेदन नहीं दिया जाएगा। इस स्तर पर ऐसे कोई भी आवेदन स्वीकार योग्य नहीं होगा।***
- ***स्टेज कैरेज परमिट के नवीकरण की कार्रवाई मार्ग अधिसूचित होने की स्थिति में ही किया जायेगा। बिना अधिसूचित मार्ग वाले स्टेज कैरेज परमिट हेतु आवेदन अनुमान्य नहीं होगा। अतः नवीकरण हेतु दिये जाने वाले आवेदन पर अधिसूचित मार्ग संख्या अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।***
- स्टेज कैरेज परमिट नवीकरण हेतु उपरोक्त शर्तो के अनुसार आवेदन एवं शुल्क के साथ हार्ड कॉपी आवेदन–पेटीका में जमा करें।
- ***इस प्राधिकार की सम्पन्न गत बैठक दिनांक 03.04.2024 के कार्यावली संख्या–12 में लिये गये निर्णय के अनुसार जिला मुख्यालय में दो वाहनों के बीच प्रस्थान के समय में अन्तराल न्युनतम 10 (दस) मिनट का अनुमान्य होगा एवं अन्य पड़ाव स्थानों पर दो वाहनों के बीच प्रस्थान के समय में अन्तराल न्युनतम 7 (सात) मिनट का अनुमान्य होगा। अतः उक्त के अनुसार ही नये परमिट हेतु आवेदन किया जाय।***
- प्रकाशित आवेदित समय–सारणी के किसी प्रस्ताव पर आपत्ति की स्थिति में आपत्तिकर्ता वाहन के सभी मान्य कागजात एवं निर्धारित शुल्क के साथ दिनांक–**15.07.2024** से दिनांक–**20.07.2024** के अपराह्न **04:00** बजे तक अपनी आपत्ति कार्यालय में रखे बॉक्स में डाल सकते हैं। अधूरे कागजातों एवं निर्धारित शुल्क में कमी के साथ आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। बैठक की तिथि दिनांक–**27.07.2024** को निर्धारित समय पर आवेदक एवं आपत्तिकर्त्ता की उपस्थिति सभी मान्य कागजातों की मूल प्रतियों के साथ वांछित होगी।
- बैठक में सुनवाई के दौरान आवेदक अपनी अनुपस्थिति में विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि/अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रख सकते हैं। एक प्रतिनिधि मात्र एक वाहन स्वामी का प्रतिनिधित्व कर सकेंगे।
- ***पूर्व से परमिटधारी वाहन स्वामी संबंधित वाहन के नए समय–सारणी हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ पूर्व में निर्गत परमिट की छायाप्रति एवं उक्त परमिट के प्रत्यर्पण हेतु शपथ पत्र भी आवेदन के साथ आवेदन–पेटीका में जमा करना सुनिश्चित करें। (नोट–क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार से निर्गत स्थायी परमिट का प्रत्यर्पण परमिट निर्गमन की तिथि से 6 माह के बाद ही किया जाएगा।)***
- परिवहन विभाग के पत्रांक 5518 दिनांक 02.09.2021 के आलोक में दिनांक 09.02.2021 को आयोजित राज्य परिवहन प्राधिकार के बैठक में नीतिगत् मामले–2 के अन्तर्गत परमिट संबंधी आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले निम्नांकित कागजातों एवं शुल्क को संलग्न करना अनिवार्य है।
- नया स्टेज कैरेज परमिट हेतु Online आवेदन में 1. वाहन का निबंधन प्रमाण–पत्र (व्हील बेस, बैठान क्षमता एवं मॉडल वर्ष का स्पष्ट उल्लेख हो)। 2. अद्यतन कर भुगतान का प्रमाण पत्र रसीद। 3. अद्यतन बीमा कागजात। 4. दुरूस्ती प्रमाण पत्र। 5. समय–सारणी (छः प्रति में)। 6. कुल दूरी एवं मार्ग संख्या सहित मार्ग का नक्सा (अन्तर्क्षेत्रीय मार्ग हेतु)। 7. वाहन स्वामी का पासपोर्ट साईज का एक फोटो। 8. मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड। 9. बैंक खाता पासबुक की प्रति (IFSC Code, बैंक का नाम, खाताधारक का नाम सहित)। 10. आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क, प्रक्रिया शुल्क एवं अधिभार शुल्क की राशि। 11. वाहन स्वामी का शपथ पत्र जिसमें वाहन परमिट से आवृत है अथवा परमिट से आवृत नहीं

है का स्पष्ट उल्लेख हो। 12. शर्तेः— (i) आवेदन के साथ अपलोड करने वाले सभी कागजात अद्यतन एवं वाहन स्वामी द्वारा स्वहस्ताक्षरित रहे। (ii) सभी कागजात सुस्पष्ट एवं पठनीय हो। (iii) समय—सारणी में किसी प्रकार का कटिंग या ओवरराईटिंग नहीं होना चाहिए। (iv) समय—सारणी 24 घंटे (रेलवे के समय—सारणी के अनुरूप) अथवा अपराह्न—पूर्वाह्न के अनुरूप प्रारूप होना चाहिए। (v) आवेदन पत्र पर वाहन स्वामी का मोबाईल नम्बर एवं E-mail ID निश्चित रूप से अंकित किया जाय। (vi) आवेदन में अधिसूचित मार्ग की संख्या का अंकन स्पष्ट रूप में होना आवश्यक है। (vii) समय—सारणी पर वाहन स्वामी का नाम, हस्ताक्षर, वाहन संख्या, मार्ग संख्या एवं मार्ग जिन प्राधिकारों के अन्तर्गत पड़ते हैं, उन प्राधिकारों के नाम का स्पष्ट रूप से अंकन होना आवश्यक है।

- *यह सुनिश्चित किया जाय कि आवेदित समय—सारणी से किसी अन्य वाहन स्वामी के व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े तथा यात्रा करने वाले आम—जन को किसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़े। यदि उपरोक्त स्थिति के मद्देनजर प्राधिकार के बैठक में ऐसा परिलक्षित होता है तो इस प्राधिकार द्वारा पूर्व में निर्गत समय—सारणी (आगमन—प्रस्थान) हेतु दिशा—निदेशो आदि को शिथिल करते हुए प्राधिकार परमिट को स्वीकृत/अस्वीकृत करने हेतु स्वतंत्र होगा।*
- नोटः— *उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्तो एवं कागजातों के अतिरिक्त विभागीय पत्रांक—9004 दिनांक—06.09.1991 में वर्णित प्रावधान के आलोक में वाहन स्वामी/आवेदक द्वारा अपने स्वयं के नाम से एवं अपने परिवार के सभी सदस्यों के नाम से निबंधित सभी वाहनों का निबंधन संख्या उल्लेखित करते हुए इन सभी वाहनों पर सरकार का किसी भी प्रकार का कर बकाया नहीं है, इस आशय का शपथ—पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा* **(शपथ—पत्र नोटरी अथवा अधिकृत दण्डाधिकारी से निर्गत होनी चाहिए)।**
- इस विषय पर उस प्राधिकार, विभाग एवं सरकार द्वारा पूर्व से निर्धारित निदेशादि प्रभावी होंगे।

(अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार—सह—आयुक्त, सारण प्रमंडल के आदेशानुसार)

ह0/—
आयुक्त के सचिव
—सह—
संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक 115 दिनांक 05/07/2024

प्रतिलिपिः— प्रमंडलीय प्रबंधक, बी0 एस0 आर0 टी0 सी0 छपरा/प्रमंडल के सभी ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर के प्रतिनिधियों को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः— गोपनीय कोषांग, आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण/सिवान/गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपः— उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, सारण प्रमंडल, छपरा को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः— राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/—
आयुक्त के सचिव
—सह—
संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा।

ज्ञापांक 115 दिनांक 05/07/2024

प्रतिलिपि :— श्री रितेश कुमार, आई0टी0 सहायक, आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि डी0आई0ओ0 सारण से समन्वय स्थापित कर आयुक्त कार्यालय, सारण प्रमंडल, छपरा के वेवसाईट पोर्टल के आर0टी0ए0, सारण के सेक्सन पर सूचना को अपलोड करवाना सूनिश्चित करेंगे।

आयुक्त के सचिव
—सह—
संयुक्त आयुक्त—सह—सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार,
सारण प्रमंडल, छपरा